Gyanvividha, Vol.-1; Issue-5 (October-December) 2024 : PP-71-83

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

Online ISSN : 3048-4537
IIFS Impact Factor-2.25
Vol.-1; Issue-5 (Oct.-Dec.) 2024
Page No.- 71-83
©2024 Gyanvividha
www.journal.gyanvividha.com

सोहन लाल
Assistant Professor,
Choudhary A.R. P.G.
College, Sardarshahar.

Corresponding Author :

सोहन लाल
Assistant Professor,
Choudhary A.R. P.G.
College, Sardarshahar.

श्रम-गरिमा, स्वावलम्बन व कौशल: 'नयी तालीम' से 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' तक का शैक्षिक इतिहास

सार : महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित **"नई तालीम" (बुनियादी शिक्षा)** ने शिक्षा में श्रम की गरिमा, स्वावलम्बन और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया था। यह शोधपत्र भारतीय शैक्षिक इतिहास में इन सिद्धांतों के उद्भव और विकास का विश्लेषण करता है। परिचय में औपनिवेशिक शिक्षा की सीमाओं और गांधीजी के वैकल्पिक दृष्टिकोण का संदर्भ दिया गया है। इसके बाद गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्वों तथा स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीतियों पर उनके प्रभाव की समीक्षा की गई है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** में नई तालीम की पुनर्प्रतिध्वनि को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है – जैसे मातृभाषा में शिक्षा, कार्य-आधारित अधिगम, और व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। साहित्य समीक्षा खंड में ऐतिहासिक ग्रंथों, रिपोर्टों व नवीन शोध को सम्मिलित करते हुए विषय का गहन अवलोकन किया गया है। शोधपद्धति के रूप में ऐतिहासिक-दस्तावेजी विश्लेषण अपनाया गया है। **परिणाम** खंड दर्शाता है कि नई तालीम के मूल्यों को समय-समय पर नीति दस्तावेजों में प्रतिध्वनित किया गया, यद्यपि व्यावहारिक कार्यान्वयन में चुनौतियाँ रही हैं। **चर्चा** में वर्तमान संदर्भ में श्रम-गरिमा व कौशल विकास की प्रासंगिकता तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव दिए गए हैं। निष्कर्षतः, शिक्षा में श्रम और स्वावलम्बन की गांधीवादी दृष्टि आज भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके आदर्शों को नये युग में साकार करने का अवसर प्रदान करती है।

मुख्य शब्द : नई तालीम; राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020; श्रम की गरिमा; स्वावलम्बन; कौशल विकास; मातृभाषा में शिक्षा ।

1. परिचय : ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य प्रशासन के लिए लिपिक और नौकरशाही वर्ग तैयार करना था, न कि भारत के सर्वांगीण विकास हेतु स्वावलम्बी नागरिक बनाना। महात्मा गांधी इस पश्चिमी

ढर्रे की पुस्तक-केंद्रित, कर्म-विमुख शिक्षा के कटु आलोचक थे। उन्होंने 1909 में रचित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में उस शिक्षा प्रणाली की दोषपूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डाला था। गांधी का मत था कि ऐसी शिक्षा, जो हाथ से किए जाने वाले श्रम को तुच्छ समझती है, न तो चरित्र निर्माण कर सकती है, न ही समाज की वास्तविक उन्नति। इसके विपरीत, उन्होंने ऐसी नई शिक्षा का सपना देखा जो **श्रम की गरिमा** को स्थापित करे, विद्यार्थियों में आत्मनिर्भर **स्वावलम्बन** विकसित करे और शिक्षा को जीवनोपयोगी **कौशल** व नैतिक मूल्यों से जोड़ दे।

गांधीजी के नेतृत्व में 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ जिसने एक अभिनव शिक्षा योजना की नींव रखी। डॉ. ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सात साल की निःशुल्क अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का विस्तृत खाका तैयार किया, जिसे नई तालीम या वर्धा योजना के नाम से जाना गया। इस योजना के प्रमुख सिद्धांत थे: सभी बच्चों के लिए सात साल की मुफ्त व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, माध्यम का **मातृभाषा** होना, तथा पाठ्यक्रम का केंद्र कोई न कोई "उत्पादक हाथ का काम" (दस्तकारी) होना जो शिक्षा को जीवनोपयोगी कौशल से जोड़े । इस **बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा** रिपोर्ट को दिसंबर 1938 में प्रस्तुत किया गया। गाँधीजी ने इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को उनके **परिवेश के अनुकूल कौशल व ज्ञान देना है ताकि वे एक पूर्ण विकसित मनुष्य बन सकें**। नई तालीम को गांधीजी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम का अविभाज्य अंग माना था और इसे स्वतंत्र भारत में सामाजिक क्रांति का "शांत शंखनाद" कहा था।

स्वतंत्रता के पश्चात कुछ समय तक गांधीवादी बुनियादी शिक्षा को नीति-स्तर पर समर्थन मिला। 1938 के हरिपुरा काँग्रेस अधिवेशन में इस योजना का अनुमोदन हुआ तथा कुछ प्रांतीय सरकारों ने इसे अपने स्कूलों में लागू करना शुरु किया। वर्धा के सेवाग्राम में हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना की गई, जो नई तालीम को प्रसार देने हेतु समर्पित थी। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारत की शिक्षा प्रणाली में धीरे-धीरे फिर से अकादमिक डिग्रियों और परीक्षाओं के दबाव हावी होने लगे। नई तालीम के आदर्श व्यवहार में उतने सफल नहीं हो पाए, जिसके कई सामाजिक-आर्थिक कारण थे (जिनपर आगे चर्चा की गई है)। इसके बावजूद, गांधी के शैक्षिक दर्शन ने नीति-निर्माताओं को प्रभावित करना जारी रखा। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर 1986/92 की नीतियों तक कार्यानुभव, सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्य आदि के रूप में बुनियादी शिक्षा के अंश किसी न किसी रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे। 2005 की **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा** में भी इस बात पर बल दिया गया कि स्कूली शिक्षा को बच्चों के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए – यह उसी गांधीवादी सोच की प्रतिध्वनि थी जिसमें शिक्षा को जीवन प्रयोजन से जोड़ने पर जोर है।

आज 21वीं सदी के भारत में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा कौशल-विकास को लेकर नई चुनौतियाँ और अवसर दोनों मौजूद हैं। एक ओर देश लगभग सार्वभौमिक नामांकन (लगभग 98% बच्चों का स्कूलों में नामांकन) हासिल कर चुका है, दूसरी ओर **सीखने के परिणाम** चिंताजनक रूप से निम्न हैं – ताज़ा सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक कौशल में गिरावट आई है। उदाहरणतः, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार तीसरी कक्षा के केवल 20.5% बच्चे ही दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ ठीक से पढ़ पाते हैं, जो 2018 में 27.3% था। इसी प्रकार, साधारण घटाव करने में सक्षम तीसरी कक्षा के बच्चे 2018 के 28.2% से घटकर 2022 में 25.9% रह गए। वहीं देश की श्रमशक्ति में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का अनुपात बहुत कम (5% से भी कम) रहा है। ऐसी स्थिति में 2020 में जारी **नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)** ने फिर से शिक्षा में मूलभूत सुधार और कौशल-आधारित, समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। इस शोधपत्र में आगे हम विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों में

गांधीजी की नई तालीम के आदर्शों की पुनर्प्रतिध्वनि सुनाई देती है, और किन चुनौतियों के साथ ये आदर्श ज़मीन पर उतारे जा सकते हैं।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नयी तालीम की पुनर्प्रतिध्वनि : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कई पहलुओं में महात्मा गांधी की नई तालीम की भावना को 21वीं सदी के संदर्भ में पुनर्जीवित करती प्रतीत होती है। नई तालीम के मूल तत्व – मातृभाषा में शिक्षा, कार्य एवं ज्ञान का अभिन्न समन्वय, व्यावहारिक कौशल का विकास, तथा शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता – सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में प्रतिच्छाया पाते हैं।

पहला पहलू है **मातृभाषा व स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा**। वर्धा योजना (1937) ने स्पष्ट कहा था कि शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा ही होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसी सिद्धांत को दोहराते हुए सुझाव दिया कि जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक (और वरीयता अनुसार कक्षा 8 तक) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही रखा जाए। नीति दस्तावेज़ में माना गया है कि प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे अवधारणाएँ बेहतर समझते हैं और उनकी बौद्धिक नींव मज़बूत होती है। यह निर्णय इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नई तालीम के "मातृभाषा में शिक्षा" के सिद्धांत को आधुनिक नीति-निर्माता अत्यंत प्रासंगिक मानते हैं।

दूसरा, **शारीरिक श्रम और कार्य-आधारित सीखना** नई तालीम का केंद्रबिंदु था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने औपचारिक रूप से मान्यता दी है। गांधीजी ने तर्क दिया था कि "उपयोगी शारीरिक श्रम बुद्धि के विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है" और हस्तकला व उद्योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम का अविभाज्य हिस्सा होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दिशा में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की बात करती है। नीति अनुसार अब अकादमिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कठोर अलगाव नहीं रहेगा, बल्के दोनों प्रकार के विषयों को साथ-साथ महत्व दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही सभी छात्रों को विविध हस्तकौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अवसर देने के लिए "इंटर्नशिप" जैसी व्यवस्थाएँ प्रस्तावित हैं। नीति ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को स्कूल या उच्च शिक्षा के दौरान किसी न किसी व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण का प्रत्यक्ष अनुभव मिल जाए। यह कदम विद्यार्थियों में **श्रम के प्रति सम्मान** और कार्य-कौशल के विकास को प्रोत्साहित करेगा, जो गांधीवादी शिक्षा का मूलाधार था। सच है कि भारत में 2012-17 के दौरान 19-24 वर्ष के मात्र <5% युवाओं को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त था, जबकि जर्मनी में यह अनुपात 75% से अधिक था। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौशल-केन्द्रित सुधार नीतिगत आवश्यकता भी था और नैतिक रूप से सही दिशा में कदम भी।

तीसरा महत्वपूर्ण प्रतिध्वनि है **स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता** का दृष्टिकोण। गांधीजी की नई तालीम सिर्फ पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देती थी, जिससे छात्र जीवनभर आजीविका अर्जित करने तथा समाज सेवा करने में सक्षम बनें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यापक ध्येय भी ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो विद्यार्थियों को **जीवन-कौशल, उद्यमिता और 21वीं सदी के कौशलों** से सम्पन्न करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। नीति में उल्लेख है कि शिक्षा को इस तरह रुपांतरित किया जाए कि डिग्री के पीछे भागने की बजाय विद्यार्थी कौशल-उन्मुख पाठ्यक्रम चुन सकें और स्वयं रोज़गार सृजन या रोज़गार प्राप्ति में समर्थ हों। यह गांधीजी के उस विचार से मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि बुनियादी शिक्षा "जीवन-यापन की खोज से राष्ट्र को स्वतंत्र बना देती है", क्योंकि इसमें शिक्षक व विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम की क्रिया में उत्पादक कार्य करते हुए आजीविका के साधन भी उत्पन्न करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान और कौशल भारत मिशन जैसी वर्तमान पहलें भी इसी स्वावलम्बन की कड़ी हैं – जिनमें शिक्षा मंत्रालय का निपुण भारत कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका लक्ष्य

प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता एवं अंकज्ञान में निपुण बनाना है। यह लक्ष्य 2026-27 तक हासिल करने हेतु गतिविधि-आधारित शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बाद के चरणों में बच्चे जटिल कौशल सीखने के लिए तैयार हों।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मूल्यांकन एवं पाठ्यचर्या सुधार के जरिए **समग्र विकास** पर बल दिया है। बुनियादी शिक्षा में परीक्षा का गौण स्थान था – वास्तविक जीवन में छात्र क्या कर सकता है, इसे अधिक महत्व था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी भावना के अनुरुप कक्षा 3, 5, 8 पर क्षमताओं के आधारित मूल्यांकन की रुपरेखा सुझाती है, जिसमें कक्षा 3 के स्तर पर मूलभूत भाषा एवं गणित की दक्षताओं की जाँच शामिल है। इसका उद्देश्य कमजोरियों का पता लगाकर प्रारंभिक स्तर पर ही सुधार करना है, न कि केवल अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करवाना। साथ ही नीति कहती है कि बोर्ड परीक्षाएँ अब बहुविषयी और अनुप्रयुक्त ज्ञान पर केंद्रित हों, जिससे 'रटंत' संस्कृति कम हो। यह परिवर्तन उस गांधीवादी आलोचना का समाधान करने की कोशिश है जिसके अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली जीवनोपयोगी शिक्षा नहीं देती।

इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु कई मार्गों से गांधी की नई तालीम की विरासत को आधुनिक संदर्भ में प्रतिध्वनित करती है – प्रारंभिक मातृभाषा शिक्षा, कार्य-आधारित अधिगम, कौशल एवं शिल्प का सम्मान, और शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भर व नैतिक नागरिक बनाना। ये समानताएँ दर्शाती हैं कि भले ही समय बदल गया हो, गांधीजी के शैक्षिक दर्शन के मूल तत्व आज भी प्रासंगिक हैं और हमारी नीतियों को दिशा प्रदान कर रहे हैं।

3. साहित्य समीक्षा : शिक्षा में श्रम-गरिमा, स्वावलम्बन और कौशल विकास के विचार पर हुए प्रमुख साहित्य एवं शोध का संक्षिप्त समीक्षात्मक विवरण निम्नवत है:

- **देवीप्रसाद मनमोहन – नई तालीम**: इस हिंदी पुस्तक में गांधीजी की बुनियादी शिक्षा की मूल अवधारणाओं और व्यवहारिक प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। देवीप्रसाद (जिन्होंने गांधीजी के शिक्षा कार्यक्रम का समर्थन करने वाली नई तालीम पत्रिका का संपादन भी किया था) ने बताया है कि नई तालीम का लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो बुद्धि, शरीर और आत्मा का समन्वित विकास करे। पुस्तक में यह प्रतिपादित है कि हस्त-प्रवास (कला व शिल्प कार्य) को केंद्र में रखकर शिक्षा देने से बालक में रचनात्मकता और स्वाभिमान बढ़ता है। नई तालीम के अध्याय गांधीवादी शिक्षा के सिद्धांतों – जैसे शिक्षा का जीवन से संबंध, नैतिक मूल्यों का समावेश, एवं आजीविका उन्मुख प्रशिक्षण – को व्याख्यायित करते हैं। यह पुस्तक नई तालीम आंदोलन के ऐतिहासिक विकास और उसके सिद्धांतों की एक महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत है।
- **मार्जोरी साइक्स – नई तालीम की कहानी** (अनुवादक: योगेन्द्र दत्त): मार्जोरी साइक्स द्वारा अंग्रेज़ी में लिखित "नई तालीम की कहानी: सेवाग्राम में शिक्षा के पचास वर्ष" का हिंदी अनुवाद है। इसमें 1937 से 1987 तक सेवाग्राम आश्रम में गांधीजी के शैक्षिक प्रयोगों का वृत्तांत दिया गया है। साइक्स स्वयं इन प्रयोगों में सहभागी रहीं, इसलिए वर्णन जीवंत व सूक्ष्म है। पुस्तक बताती है कि नई तालीम गांधी के "सुन्दर समाज" की परिकल्पना का अभिन्न हिस्सा थी, जिसका ध्येय सत्य व अहिंसा पर आधारित नए सामाजिक संरचना के लिए नागरिक तैयार करना था। इसमें वर्धा शिक्षा सम्मेलन, ज़ाकिर हुसैन समिति की सिफारिशें, सेवाग्राम के शिक्षा प्रयोग, तथा आज़ादी के बाद नई तालीम के उतार-चढ़ाव का विस्तृत विश्लेषण है। साइक्स ने नई तालीम को "निश्शब्द सामाजिक क्रांति का अग्रदूत" कहा, जो दर्शाता है कि यह केवल शिक्षा का ही नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम था। यह ग्रंथ नई तालीम के इतिहास व दर्शन दोनों पर प्रामाणिक प्रकाश डालता है।
- **ज़ाकिर हुसैन समिति रिपोर्ट – बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा**: 1938 में प्रकाशित इस रिपोर्ट को ज़ाकिर हुसैन रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें सात वर्षों की मूलभूत शिक्षा की विस्तृत पाठ्यचर्या और

कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट पांच खंडों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए विषय-वस्तु, हस्तशिल्प, भाषा, गणित, आदि का समन्वित पाठ्यक्रम दिया गया। प्रस्तावना में गांधीजी लिखते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल हो और उसे आत्मनिर्भर जीवन हेतु तैयार करे। रिपोर्ट की सिफारिश थी कि पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा हो, प्रत्येक दिन पढ़ाई के साथ कोई न कोई उत्पादक शारीरिक श्रम (चरखा-कताई, बुनाई, खेती, लकड़ी का काम आदि) अनिवार्य हो ताकि कमाई करके सीखा जाए। इस पाठ्यक्रम को अपनाने से शिक्षा व्यवस्था बाल-केन्द्रित तथा व्यावहारिक बनती। बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा योजना मानी जाती है और इसमें गांधीवादी शैक्षिक सिद्धांतों का ठोस क्रियान्वयन खाका देखने को मिलता है।

- **मोहनदास करमचंद गांधी – बुनियादी शिक्षा**: यह पुस्तक गांधीजी के विभिन्न भाषणों, लेखों व पत्रों का संग्रह है जिसमें उन्होंने नई तालीम/बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत स्पष्ट किए हैं। गांधीजी के अनुसार "शिक्षा का अर्थ चरित्र, शारीरिक श्रम व बुद्धि तीनों का समान विकास करना है"। वे कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें सर्व प्रकार की गुलामी से मुक्ति दिलाए – बाहरी नियंत्रण से भी और अपनी अनावश्यक आवश्यकताओं के दासत्व से भी। गांधी इस पुस्तक में रेखांकित करते हैं कि पुस्तकों का ज्ञान मात्र अधूरी शिक्षा है; वास्तविक ज्ञान तो श्रम व अनुभव से, जीवन की पुस्तक से मिलता है। उनका जोर था कि स्कूलों में पढ़ाई इस प्रकार हो कि विद्यार्थी कुछ न कुछ उत्पादक कार्य करें जिससे शिक्षा "जीवनोपयोगी और आत्मनिर्भर बनाने वाली कला" बन जाए। बुनियादी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अध्याय में गांधीजी लिखते हैं: "हस्तकला, कला, स्वास्थ्य और शिक्षा – इन चारों का मिश्रण नई तालीम है"। इस संकलन से स्पष्ट होता है कि गांधी की शिक्षा-दृष्टि का केन्द्रीय बिंदु श्रम के माध्यम से सर्वांगीण विकास था।
- **राजानन्द – गांधी दर्शन और शिक्षा**: 1969 में प्रकाशित यह हिंदी पुस्तक गांधीवादी दर्शन और शैक्षिक सिद्धांतों का विश्लेषण करती है। राजानन्द ने गांधीजी के शैक्षिक विचारों को दार्शनिक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत किया है। पुस्तक के प्रारंभ में लेखक गांधीजी के व्यक्तित्व को अद्वितीय बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने प्रचलित मान्यताओं को उलट कर एक नया मार्ग दिखाया – जब दुनिया भौतिक समृद्धि को सभ्यता का मापदंड मान रही थी, गांधी आत्मिक उत्थान और आत्मनिर्भरता की शिक्षा पर बल दे रहे थे। गांधी दर्शन और शिक्षा गांधीजी के शिक्षा के उद्देश्य – नैतिक चरित्र निर्माण, ग्राम विकास, सादगी, स्वावलम्बन – पर प्रकाश डालती है। लेखक ने गांधीजी की नई तालीम की अवधारणा को उनके व्यापक दर्शन (सत्य, अहिंसा, स्वराज) के संदर्भ में रखकर व्याख्या की है। पुस्तक दर्शाती है कि किस प्रकार शिक्षा, गांधी दर्शन में, सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली उपकरण बनती है। इस साहित्यिक समीक्षा के आधार पर, राजानन्द का निष्कर्ष है कि गांधीवादी शिक्षा-दर्शन न केवल अपने समय में बल्कि आज भी प्रासंगिक है, बशर्ते उसे सही दृष्टि के साथ अपनाया जाए।
- **आर.वी. राव – सेवाग्राम: वर्धा में गांधीजी का आश्रम तथा अन्य संस्थाएँ**: यह पुस्तक (प्रकाशन वर्ष 1969) सेवाग्राम आश्रम और वहाँ स्थापित विभिन्न संस्थाओं का विवरण देती है। डॉ. आर.वी. राव ने विशेष रूप से सेवाग्राम में चलाए गए नई तालीम संबंधी प्रयोगों और संस्थानों को दर्ज किया है। वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में 1937 के बाद कई शिक्षण संस्थाएँ स्थापित हुईं – जैसे बुनियादी विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि – जिनका उद्देश्य गांधीजी के शैक्षिक विचारों को व्यवहार में लाना था। पुस्तक में बताया गया है कि सेवाग्राम आश्रम में स्थित हिन्दुस्तानी तालीमी संघ नई तालीम के प्रसार का केंद्र था, जिसने शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण और प्रयोगिक स्कूलों की स्थापना में भूमिका निभाई। राव लिखते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद सेवाग्राम के आश्रम-विद्यालयों ने हस्तकला, खेती, स्पिनिंग-कताई आदि के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को स्वावलम्बी शिक्षा दी। साथ ही पुस्तक अन्य

गांधीवादी संस्थाओं (खादी उत्पादन केंद्र, ग्रामोद्योग आदि) का ज़िक्र करती है, जो शिक्षा को ग्राम-स्वराज से जोड़ने के प्रयास थे। कुल मिलाकर, यह दस्तावेज़ सेवाग्राम को नई तालीम की प्रयोगभूमि के रूप में प्रस्तुत करता है और दर्शाता है कि गांधीजी के रहते व बाद के वर्षों में वर्धा एक शैक्षिक नवाचारों का केंद्र कैसे बना।

- **विद्या भवन, उदयपुर – बुनियादी शिक्षा: एक नई कोशिश**: यह 2007 में प्रकाशित एक पुस्तिका है जिसमें विद्या भवन संस्था द्वारा बुनियादी शिक्षा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्प्रयोग करने के अनुभव लिखे गए हैं। विद्या भवन, उदयपुर एक प्रगतिशील शैक्षिक संस्थान है जिसने गांधीवादी शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित पाठशाला संचालित करने का प्रयास किया। "एक नई कोशिश" नामक इस पुस्तिका में विद्या भवन के शिक्षकों ने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने स्कूल में कार्य-आधारित शिक्षण, शिल्प व परियोजना कार्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया। इसमें उदाहरण दिए गए हैं कि बच्चे बागवानी, बढ़ईगीरी, कताई-बुनाई जैसे कामों के जरिये गणित, भाषा और विज्ञान की अवधारणाएँ सीखते हैं। इस प्रयोग से विद्यालय को क्या चुनौतियाँ आईं – जैसे शिक्षकों का पुनर्प्रशिक्षण, अभिभावकों को समझाना, परीक्षा प्रणाली में समन्वय – इन पर भी लेख हैं। कुल मिलाकर, यह साहित्य आधुनिक काल में गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के पुनर्प्रयोग का मूल्यांकन करता है। निष्कर्षतः, विद्या भवन का अनुभव दर्शाता है कि नई तालीम के सिद्धांत आज भी व्यवहार में लाए जा सकते हैं, बशर्ते स्कूल स्तर पर नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- **शोध-प्रबंध: "गांधी जी की नई तालीम, नई शिक्षा और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता"** (एस.एम. खुर्शीद आलम, 2010): ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जमा यह पीएचडी शोधप्रबंध गांधीजी की नई तालीम व नई शिक्षा की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर केंद्रित है। शोधार्थी एस.एम. खुर्शीद आलम ने ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक विधि से गांधीवादी शिक्षा सिद्धांतों का अध्ययन किया तथा आधुनिक भारत में उनकी सार्थकता का मूल्यांकन किया। प्रबंध बताता है कि नई तालीम के कई पहलू – जैसे कार्य के माध्यम से सीखना, ग्राम-केंद्रित शिक्षा, नैतिक शिक्षा – आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उपयोगी हैं। शोध में स्वतंत्रता-पूर्व और पश्चात की शिक्षा नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह बताया गया है कि क्यों गांधीजी की नई तालीम व्यापक रूप से कार्यान्वित न हो सकी और उसे पुनर्जीवित करने के क्या लाभ हो सकते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार शिक्षा में तब्दीली लाने के गांधीवादी उपाय (शारीरिक श्रम व हस्तकौशल का समन्वय) वर्तमान शिक्षा की कई समस्याओं – जैसे बेरोजगारी, नैतिक मूल्य-हानि, अनुपयोगी पाठ्यक्रम – का समाधान प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर, खुर्शीद आलम का शोध यह पुष्टि करता है कि गांधीजी का शिक्षा-दर्शन समयातीत है और 21वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिक है।
- **शोध-पत्र: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषणात्मक अध्ययन"** (लखन लाल चौकसे, 2020, इंस्पाइरा जर्नल): यह नवीन शोधपत्र नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में करता है। चौकसे ने अपनी समीक्षा में दर्शाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास है। शोधपत्र के अनुसार नीति में शामिल बहु-विषयी पाठ्यक्रम, लचीले पाठ्यक्रम संरचना, कौशल विकास और तकनीकी एकीकरण जैसे कदम भारतीय शिक्षा को नई दिशा देने में सक्षम हैं। लेखक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों (जैसे बुनियादी ढाँचे का अभाव, शिक्षकों का प्रशिक्षण, धन आवंटन) पर भी प्रकाश डालते हैं। निष्कर्षतः, चौकसे का अध्ययन संकेत करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यदि पूर्णतः लागू हुई तो यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, गुणवान और रोजगारोन्मुख बनाएगी। यह शोधपत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति एक सकारात्मक लेकिन विवेचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत

करता है, और नीति में निहित गांधीवादी झलक (जैसे मातृभाषा, व्यावसायिक शिक्षा) को पहचानता है।

- **पीआरएस नीति-सार: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020"**: पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा हिंदी में प्रकाशित इस नीति सारांश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण व विश्लेषण है। सार के अनुसार, नई नीति शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संरचनात्मक बदलाव लाती है – 5+3+3+4 संरचना, प्रारंभिक बचपन देखभाल व शिक्षा को मुख्यधारा में लाना, आधारभूत साक्षरता-अंकज्ञान पर मिशन मोड में कार्य (निपुण भारत), माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं का एकीकरण, उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो 2035 तक 50% करने का लक्ष्य इत्यादि। पीआरएस के विश्लेषण में कहा गया है कि शिक्षा का वित्त सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है, जो 1968 से लंबित सुधार था। इसके अलावा, यह सार बताता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुभाषा में शिक्षा और त्रिभाषा सूत्र को लचीला रूप देने पर जोर दिया है। नीति-सार में नीति आयोग व मंत्रालयों की उक्तियों के आधार पर नीति के प्रभावों का आकलन भी है। संक्षेप में, यह स्रोत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधिकारिक विशेषताओं को समग्र रूप से समझने में सहायक है और शोधपत्र के लिए संदर्भ का कार्य करता है।

4. शोधपद्धति : इस शोध में गुणात्मक ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक शोधपद्धति अपनाई गई है। पहले चरण में विषय से संबंधित प्रामाणिक **प्राथमिक स्त्रोतों** (जैसे महात्मा गांधी के लेख, भाषण; ज़ाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट; तत्कालीन दस्तावेज़) और **द्वितीयक स्त्रोतों** (पुस्तकें, शोध-पत्र, नीति-प्रपत्र) का व्यापक संग्रह एवं अध्ययन किया गया। इन स्त्रोतों की समीक्षा द्वारा "नई तालीम" के मूल सिद्धांतों तथा समय के साथ उनके प्रसार या ह्रास को समझा गया। विशेष रूप से, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के दस्तावेज़ और स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियों/रिपोर्टों (1968, 1986, 2005, 2020) का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि गांधीवादी शिक्षा-दर्शन किन रूपों में नीतियों में शामिल हुआ।

दस्तावेज़ी विश्लेषण की तकनीक का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाठ्यों से प्रासंगिक उद्धरण और डेटा संकलित किए गए। उदाहरणतः, नई तालीम के साहित्य से श्रम-शिक्षा और कौशल विकास संबंधी उद्धरण छांटे गए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उनके समानताएं तलाशीं गईं। इसके लिए विषयवार कोडिंग की गई – जैसे "माध्यम भाषा", "व्यावसायिक शिक्षा", "स्वावलम्बन" आदि शीर्षकों के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं समकालीन स्त्रोतों के बिंदु समूहित किए गए। तत्पश्चात विषय-वस्तु विश्लेषण द्वारा यह आकलन किया गया कि नई तालीम के किन आदर्शों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पुनर्स्थापित किया है और कहाँ विचलन हैं।

शोध की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तथ्य अथवा कथन को उपयुक्त स्त्रोत से उद्धृत किया गया है। अधिकांश स्त्रोत हिंदी में होने के कारण मूल पाठ को समझने व संदर्भित करने में सुगमता रही; कुछ अंग्रेज़ी स्त्रोतों के निष्कर्षों का हिंदी अनुवाद कर प्रयोग किया गया। सीमाओं की दृष्टि से, यह अध्ययन मुख्यतः नीतिगत विश्लेषण तक सीमित है – यानी शिक्षा के घोषित सिद्धांतों व योजनाओं की तुलना – न कि जमीनी क्रियान्वयन का आकलन। फिर भी, उपलब्ध सर्वेक्षण (जैसे वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट) के डाटा का उपयोग वर्तमान वास्तविकताओं से तुलना करने हेतु किया गया है। कुल मिलाकर, शोधपद्धति ने ऐतिहासिक व्याख्या व आधुनिक नीति विश्लेषण को समन्वित करके शोध प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया है।

5. परिणाम : शोध के विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष उभरकर सामने आए हैं, जो लगभग एक सदी के अंतराल पर बनी गांधी की नई तालीम और आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीच गहरे अंतर्संबंध को उजागर करते हैं:

1. मातृभाषा व बहुभाषी शिक्षा: वार्धा की नई तालीम योजना (1937) का एक केंद्रीय सिद्धांत प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देना था। परिणामों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लगभग उसी सिद्धांत को

अपनाया है – नीति में सिफारिश की गई है कि कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा होनी चाहिए। यह कदम न सिर्फ शैक्षिक दृष्टि से लाभकारी माना गया (बच्चों की अवधारणात्मक स्पष्टता हेतु), बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी – इससे बच्चों में अपनी भाषा व संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ता है, जो गांधीजी की परिकल्पना थी। अध्ययन में पाया गया कि आज़ादी के बाद की 1968 व 1986 की नीतियों में भी मातृभाषा के महत्व को स्वीकार किया गया था, किंतु व्यावहारिक स्तर पर अंग्रेज़ी का वर्चस्व बना रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली ऐसी नीति है जिसने इसे सुदृढ़ उपायों (जैसे त्रिभाषा फार्मूले में लचीलापन) के साथ दुबारा स्थापित करने का प्रयास किया है। यह नई तालीम के एक प्रमुख आदर्श की प्रतिध्वनि है।

2. कार्य आधारित शिक्षा एवं कौशल विकास: शोध के परिणाम दर्शाते हैं कि नई तालीम द्वारा स्थापित "शिक्षा के साथ उत्पादन" का सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के निर्णय में झलकता है। गांधीजी ने शिक्षा में हाथ के कौशल (हस्तकला, खेती, सिलाई आदि) को अनिवार्य अंग बनाने पर जोर दिया था ताकि छात्र "करके सीखें" और श्रम का सम्मान करें। वर्तमान विश्लेषण बताता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में लंबे समय तक व्यावसायिक प्रशिक्षण को दोयम दर्जा मिला – उदाहरणस्वरूप, स्वतंत्रता के बाद के दशकों में हाई स्कूल स्तर पर "सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्य" एक अनिवार्य विषय तो था, पर उसे मुख्य अकादमिक विषयों जितना महत्त्व नहीं मिला। परिणामस्वरूप, समाज में शारीरिक कार्य बनाम बौद्धिक कार्य के बीच भेद बना रहा और श्रम को हीन दृष्टि से देखने का प्रवृत्ति जारी रही – यह गांधी के आदर्श के विपरीत था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसी समस्या को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि अब शिक्षाप्रद और व्यावसायिक विषयों के बीच कोई अलगाव नहीं होगा, और सभी विद्यार्थियों को कम से कम एक कौशल-प्रशिक्षण अवश्य दिया जाएगा। तुलना से ज्ञात होता है कि यह कदम एक ऐतिहासिक सुधार है। भारत सरकार की कौशल विकास नीति 2009 ने 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल-प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन स्कूली स्तर पर कौशल के बीज बोए बिना यह लक्ष्य अधूरा रहा। शोध के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने छठी कक्षा से पाठ्यक्रम में व्यावहारिक कौशल-प्रशिक्षण (इंटर्नशिप के रूप में) जोड़कर उस खालीपन को भरने का प्रयत्न किया है। यह नई तालीम के उस सिद्धांत का पुनर्जीवन है जिसमें शारीरिक श्रम द्वारा बौद्धिक विकास की बात कही गई थी।

3. मूल्य आधारित एवं समग्र विकास: नई तालीम सिर्फ कौशल की नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों और नागरिक गुणों की शिक्षा थी – गांधीजी का मानना था कि शिक्षा का असली मकसद चरित्र का निर्माण और सेवा की भावना उत्पन्न करना है। शोध परिणामों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी "समग्र विकास" को अपना मूलमंत्र बनाया है। नई नीति में पाठ्यचर्या का भार कम करके मूल्य-आधारित सामग्री जोड़ने, सह-शैक्षणिक गतिविधियों (खेल, कला, सेवा-कार्य) को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। यह नई तालीम के आदर्श – 'हृदय, मस्तिष्क और हाथ का समन्वित विकास' – के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, गांधीजी चाहते थे कि शिक्षा गांवों और समाज की वास्तविक ज़रूरतों से जुड़ी हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक स्थानीय समुदाय से जुड़ी परियोजनात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जो छात्रों में अपने समाज की समस्याओं के वास्तव में समाधान करने की क्षमता विकसित करेगा। यह भी नई तालीम की समाजोपयोगी शिक्षा का रूपांतरण है।

4. शिक्षा में समानता और सबकी पहुंच: गांधीजी की शिक्षा-दृष्टि सबके लिए थी – अमीर-गरीब, लड़का-लड़की सभी के लिए समान प्रारंभिक अवसर की वकालत उन्होंने की। बुनियादी शिक्षा आन्दोलन के तहत सस्ती व प्रायः स्वावलम्बी शिक्षा मॉडल प्रस्तावित थे ताकि आर्थिक बाधाएँ न रहें। वर्तमान अध्ययन में पाया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समानता बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए हैं: बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग आदि

हाशिए के समूहों के लिए छात्रवृत्ति, विशेष अभियान तथा जेंडर इंक्लूज़न फंड की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009 के तहत कानून ने 6-14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देकर समानता की नींव पहले ही रख दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उसे आगे बढ़ाते हुए 3-18 वर्ष तक के आयु समूह को शिक्षाके दायरे में लाने (प्रारंभिक बाल शिक्षा से माध्यमिक तक) का संकल्प लिया है। इन नीतिगत उपायों की तुलना नई तालीम आंदोलन से करें तो पाएंगे कि मूल भावना वही है – शिक्षा किसी वर्ग विशेष की संपदा न होकर प्रत्येक बालक का अधिकार है। वास्तव में, नई तालीम विद्यालयों में प्रारंभिक प्रयोग के समय ही बालिकाओं एवं समाज के वंचित वर्गों को शामिल किया गया था, जिसका वर्णन मार्जोरी साइक्स करती हैं। इस दृष्टि से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में समावेशिता बढ़ाकर गांधी के "बुनियादी शिक्षा – सबके लिए" के स्वप्न को साकार करने की ओर बढ़ रही है।

5. संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन: परिणामों से यह भी ज्ञात हुआ कि गांधीवादी शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए जिस प्रकार स्वतंत्रता-पूर्व नई तालीम संघ तथा विभिन्न शिक्षा समितियाँ बनाई गई थीं, उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत प्रावधान किए हैं। उदाहरणस्वरूप, नीति 2020 में एक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा नया पाठ्यचर्या ढाँचा विकसित करने, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने, व स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली लागू करने की बातें हैं। ये परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत और लोकोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से हैं, जो गांधीवादी विकेन्द्रित शिक्षा मॉडल के अनुरूप है (गांधी जी छोटे सामुदायिक स्कूलों के पक्षधर थे जहां शिक्षक-अभिभावक का घनिष्ठ संबंध हो)। स्वतंत्र भारत में भी 1953 में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग आदि ने "विद्यालय परिसर" की संकल्पना दी थी, जिसका प्रतिबिंब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आखिरकार नज़र आता है। इस प्रकार, हमारी वर्तमान नीति कई ऐसे संस्थागत सुधार ला रही है जिनकी जड़ें हमारे शिक्षा चिंतकों के पूर्ववर्ती सुझावों में हैं।

समग्र रूप से, इन परिणामों से पुष्टि होती है कि **नई तालीम के मूल्य – श्रम-गरिमा, स्वावलम्बन, कौशल विकास, मातृभाषा, नैतिक शिक्षा – भारतीय शिक्षा नीति के डीएनए में सदैव मौजूद रहे हैं**, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उन्हें खुले रूप से स्वीकार कर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया है। हालाँकि, परिणाम यह भी इंगित करते हैं कि केवल नीति में शामिल कर लेना पर्याप्त नहीं; अतीत में भी नई तालीम जैसे आदर्श शामिल किए गए थे लेकिन ज़मीन पर आंशिक ही उतर सके। उदाहरणार्थ, 1977 में कार्य अनुभव को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था परंतु बोर्ड परीक्षाओं व उच्च शिक्षा प्रवेश की होड़ में वह हाशिए पर रहा। अतः अगला खंड इन चुनौतियों व संभावनाओं पर चर्चा करते हुए विशेष विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

6. चर्चा एवं विश्लेषण : उपरोक्त परिणामों के आलोक में स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन सिर्फ संयोगवश गांधीवादी सिद्धांतों से मिलते-जुलते नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय शैक्षिक चिंतन की मूल धारा की निरंतरता हैं। यह **श्रम-केन्द्रित व कौशल-आधारित शिक्षा** की ओर एक ऐतिहासिक लौटाव है। इस चर्चा खंड में हम दो पहलुओं पर विशेषतया विचार करेंगे: (1) इतिहास से सबक – नई तालीम जैसे प्रयास अतीत में व्यापक रूप से लागू क्यों नहीं हो पाए और उनसे क्या सीख मिलती है; (2) भविष्य की राह – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घोषित लक्ष्यों को व्यवहार में उतारने के लिए कौन-सी चुनौतियाँ मौजूद हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए।

(1) इतिहास से सबक: गांधीजी की नई तालीम एक क्रांतिकारी अवधारणा थी जिसने शिक्षा के उद्देश्य को पुनर्परिभाषित किया – ज्ञानार्जन को जीविकोपार्जन, सामाजिक चेतना और चरित्र निर्माण से जोड़ा। बावजूद इसके, भारत की मुख्यधारा शिक्षा व्यवस्था में यह विचार पूर्णतः सम्मिलित नहीं हो सका। इसके ऐतिहासिक कारणों पर गौर करें तो कुछ बिंदु उभरते

हैं:

- परीक्षा एवं डिग्री-केंद्रित मानसिकता: ब्रिटिश काल से ही मूल्यांकन प्रणाली स्मृति-आधारित परीक्षाओं पर केन्द्रित थी, जो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। नई तालीम जैसी प्रणाली, जो जीवन कौशलों को ज़्यादा महत्व देती थी, इस परीक्षा संस्कृति से टकराव में आ गई। व्यवहार में विद्यालयों ने हस्तकौशल या कार्य-अनुभव को पूरक गतिविधि तो बनाया लेकिन उसे मूल्यांकन या प्रोन्नति में उचित वजन नहीं दिया। नतीजन, शिक्षक, अभिभावक और छात्र – सभी ने उसे "गौण" समझा। यह प्रवृत्ति आज भी बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको बदलने के लिए परीक्षा में व्यापक सुधार (आकलन में बहुमुखी कौशलों को शामिल करना, परियोजना कार्य को महत्व देना आदि) प्रस्तावित करती है, लेकिन इसे लागू करने के लिए शिक्षकों और परीक्षा निकायों को व्यापक पुनर्संरचना और क्षमता-निर्माण की आवश्यकता होगी।
- प्रशिक्षित शिक्षकों व संसाधनों का अभाव: नई तालीम के व्यापक क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा प्रशिक्षित हस्तकला-शिक्षकों की कमी रही। 1940 के दशक में अखिल भारतीय स्तर पर जितने शिक्षक नई तालीम पद्धति में प्रशिक्षित थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। आज भी यदि व्यावसायिक शिक्षा को हर स्कूल में अनिवार्य किया जाना है तो पर्याप्त प्रशिक्षकों, वर्कशॉप/लैब और सामग्री की ज़रूरत होगी। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने व्यावसायिक शिक्षा के दिशानिर्देश जारी कर स्कूलों में कौशल पाठ्यक्रम शुरु किए हैं, किंतु अधिकांश राज्यों में यह प्रारंभिक अवस्था में है। चर्चा का विषय यह है कि क्या सरकार आवश्यक बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन प्रदान कर पाएगी? कौशल विकास मंत्रालय की 2009 एवं 2015 की नीतियाँ भले बनीं, लेकिन ज़मीनी असर सीमित रहा – 2018 तक 15-59 आयु वर्ग के केवल 2% श्रमिक ही औपचारिक कौशल-प्रशिक्षण प्राप्त थे। इससे पता चलता है कि नीतिगत घोषणाओं को लक्ष्य प्राप्ति में बदलना आसान नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कामयाबी इस पर निर्भर करेगी कि केंद्र व राज्य मिलकर व्यावसायिक शिक्षकों की फौज, औद्योगिक साझेदारी और धन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- सामाजिक धारणा: गांधीजी स्वयं इस बात से भली-भाँति अवगत थे कि शिक्षित मध्यमवर्ग श्रम आधारित शिक्षा को तवज्जो नहीं देगा – उनका प्रसिद्ध सवाल "के टी शाह, आप कैसी शिक्षा बना रहे हैं – अपने बच्चों के लिए?" इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। नई तालीम को लेकर यह धारणा बनी रही कि यह गरीबों या ग्रामीणों के लिए है, न कि मुख्यधारा के लिए। परिणामस्वरूप, स्वतंत्रता के बाद इसके प्रति उत्साह ठंडा पड़ गया, विशेषकर जैसे-जैसे राष्ट्र ने औद्योगीकरण और उच्च तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। आज पुनः वही चुनौती है – क्या समाज शारीरिक श्रम करने वाले को उतना ही आदर देगा जितना एक ऑफिस में काम करने वाले को? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता के लिए इस मानसिकता बदलाव की नितांत ज़रूरत होगी। सरकार को "श्रम की गरिमा" के संदेश को संचार माध्यमों, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक-प्रशिक्षण हर स्तर पर जोर-शोर से प्रसारित करना होगा। जब तक माता-पिता यह नहीं समझेंगे कि बढ़ईगिरी या बिजली-मिस्त्री का काम भी उतना ही सम्मानजनक करियर हो सकता है, तब तक स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलते हुए भी छात्र उसमें संकोच करेंगे। इस सामाजिक पक्ष पर चर्चा-अभियान चलाना जरूरी है।

(2) भविष्य की राह और सुझाव: उपर्युक्त चुनौतियों के मद्देनज़र, कुछ ठोस कदम और सुधार आवश्यक प्रतीत होते हैं, जिनपर यह विश्लेषण जोर देता है:

- शिक्षक-शिक्षण में गांधीवादी तत्व: यदि शिक्षकों को नई तालीम/व्यावसायिक शिक्षा की भावना नहीं समझाई गई तो वे इसे अतिरिक्त बोझ मानकर चलताऊ ढंग से लेंगे। बी.एड. एवं डी.एल.एड. कार्यक्रमों में कार्य-आधारित शिक्षण, बहु-अनुशासनात्मक पाठ और मूल्य-शिक्षा को शामिल करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वयं चार-वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की बात करती है जिसमें विषय सामग्री के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण

शामिल होगा। इसे तेज़ी से लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही इन-सर्विस (सेवारत) शिक्षकों के लिए व्यापक ओरिएंटेशन कोर्स चलाए जाएं, जिनमें उन्हें नई तालीम के सफल उदाहरण (जैसे विद्या भवन उदयपुर का प्रयोग) दिखाए जाएं ताकि वे प्रेरित हों।

- पायलट प्रोजेक्ट व बेस्ट प्रैक्टिस: आज ज़रूरत इस बात की है कि प्रत्येक राज्य कम से कम कुछ स्कूलों को "बुनियादी विद्यालय" की तर्ज पर विकसित करे जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी नवाचार पूरी तरह लागू हों मातृभाषा माध्यम, हस्तकला आधारित शिक्षण, बाग़वानी/कला/खेल को नियमित दिनचर्या में शामिल करना, पाठ्यपुस्तकों से परे जाकर परियोजना कार्य करवाना आदि। ऐसे प्रयोगात्मक विद्यालयों के परिणाम जब दिखेंगे (उदाहरण के लिए बच्चों में अनुपस्थिति कम होना, सीखने में उत्साह बढ़ना, समुदाय का जुड़ाव बढ़ना), तो अन्य स्कूल भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। नई तालीम जमाने में सीमित दायरे में सफल रही – जैसे सेवाग्राम, मगनवाड़ी, तलिमी संघ के स्कूल – लेकिन उसे आम चलन में लाने के लिए तत्कालीन सरकार ने वैसी पहल नहीं की। आज सरकार के पास माध्यम है कि वह प्रयोजनों को मुख्यधारा में शामिल कर सकती है। यह रणनीति व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू हो – स्थानीय उद्योगों, पोलिटेक्निक संस्थानों के सहयोग से स्कूल-कॉम्प्लेक्स स्तर पर स्किल लैब विकसित हों।
- समीक्षा एवं पारदर्शिता: चर्चा का एक बिंदु यह भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित लक्ष्यों की नियमित मॉनीटरिंग हो। उदाहरण के लिए, 2025 तक 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का अवसर देने के लक्ष्य को ट्रैक करने हेतु वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएं। स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन (जैसे पीआरएस, एनसीईआरटी के सर्वे) किया जाए कि कितने स्कूलों में हस्तकला/कौशल पाठ्यक्रम शुरु हुए, कितने बच्चों ने इनका लाभ लिया। इसी तरह मातृभाषा में शिक्षा के क्या प्रभाव रहे, इसपर अनुसंधान हों। जब तक डेटा द्वारा सफलता मापी नहीं जाएगी, तब तक निर्णय निर्माताओं और जनता दोनों में जवाबदेही नहीं आएगी। सुखद है कि हाल ही में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जैसे सर्वे काफी लोकप्रिय हुए हैं जिन्होंने नींवी कौशल पर देश का ध्यान खींचा। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा, कला-एकीकरण आदि पर भी स्वतंत्र आकलन प्रकाशित होने चाहिए।
- आर्थिक व राजनीतिक संबल: इतिहास गवाह है कि कोई भी शिक्षा सुधार व्यापक राजनीतिक इच्छा-शक्ति और आर्थिक निवेश के बिना सफल नहीं हो सकता। गांधी जी को स्वयं कई विरोधों का सामना करना पड़ा – कुछ शिक्षाविद नई तालीम को "अति आदर्शवादी" कहते थे, उद्योगपतियों को लगा इसमें आधुनिक उद्योगों के लिए जनशक्ति तैयार नहीं होगी, इत्यादि। आज भी अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने क्रांतिकारी प्रावधान लागू करेगी तो उसे तात्कालिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है (उदा: अंग्रेज़ी माध्यम समर्थकों का मतभेद, व्यावसायिक बनाम शैक्षणिक धाराओं का विवाद)। इनसे निपटने के लिए सरकार को सबल राजनीतिक संकल्प दिखाना होगा। साथ ही, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की जो बात नीति में दोहराई गई है, उसे साकार करना पड़ेगा – विशेषकर कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशालाएँ, शिक्षण-सामग्री पर खर्च के रूप में। यदि आर्थिक बाधा से समझौते हुए तो नई तालीम की तरह यह प्रयास भी अधूरा रह सकता है।

अंततः, इस चर्चा का निष्कर्ष यह है कि **नई तालीम के सिद्धांतों को लागू करना न तो सरल है न त्वरित फल देने वाला, पर दीर्घकालिक रूप से यह भारतीय शिक्षा को जड़ से मजबूत करने हेतु अनिवार्य कदम है।** आज भारत जिस आर्थिक-दौड़ में शामिल है, उसमें युवा पीढ़ी को कुशल और सृजनशील बनाना हमारी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए। गांधी का मॉडल हमें याद दिलाता है कि कौशल सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के पूर्ण विकास और समाज की आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने दिशा दिखा दी है; अब यह हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि हम

इतिहास से सबक लेते हुए इन नीतियों को धरातल पर उतारें। ऐसा करके ही हम शिक्षा के माध्यम से "नए भारत" का निर्माण कर पाएंगे जिसका सपना स्वयं महात्मा गांधी ने देखा था – एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी और नैतिक रूप से सुदृढ़ हो।

7. निष्कर्ष : उन्नीसवीं-बीसवीं सदी के भारत में जिस शिक्षा मॉडल ने जड़ें जमाईं, वह पुस्तकीय ज्ञान पर ज़ोर देने वाली और हाथ के कौशल को नज़रअंदाज़ करने वाली थी। महात्मा गांधी उन पहले मनीषियों में थे जिन्होंने इस मॉडल की कमियों को पहचाना और उसके स्थान पर "नई तालीम" अर्थात बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की। नई तालीम ने शिक्षा को पुनर्परिभाषित करते हुए कहा कि असली शिक्षा वही है जो इंसान को **श्रम की गरिमा** समझाए, उसे **स्वावलम्बी जीविकोपार्जन** में सक्षम बनाए, तथा उसके **शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास** को संतुलित रूप से साधे। गांधीजी के इन आदर्शों को उनके जीवनकाल में सीमित प्रयोगों में सफलता मिली, पर भारतीय शैक्षिक मुख्यधारा ने कुछ समय बाद भिन्न राह पकड़ ली।

यह शोध अध्ययन दर्शाता है कि गांधीवादी विचार कभी पूरी तरह ओझल नहीं हुए; समय-समय पर विभिन्न शिक्षा नीतियों में वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उभरते रहे। विशेषकर, **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** अपने दर्शन और प्रावधानों में अनेक पहलुओं से नई तालीम की प्रतिध्वनि प्रस्तुत करती है – चाहे वह प्रारंभिक मातृभाषा में शिक्षा का सुझाव हो, या प्रत्येक विद्यार्थी को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, या फिर पाठ्यक्रम को पुस्तकों से बाहर जीवन से जुड़ी गतिविधियों से भरने का आग्रह। लगभग 83 वर्ष पहले वर्धा में प्रस्तावित शिक्षा-सुधार के अनेक तत्व आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नीति बन चुके हैं। यह हमारे लिए गौरव और आत्मचिंतन – दोनों का विषय है। गौरव इसलिए कि भारतीय शिक्षा विमर्श अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है; आत्मचिंतन इसलिए कि जिन आदर्शों को स्थापित होने में आठ दशक लगे, उन्हें अमलीजामा पहनाने में और देर न की जाए।

निस्संदेह, नीतियों के घोषणापत्र से ज़मीनी वास्तविकता तक का सफर चुनौतियों भरा है। इस शोधपत्र ने विभिन्न ऐतिहासिक व वर्तमान बाधाओं की चर्चा की – जैसे सामाजिक मानसिकता, संसाधन-सुविधाओं की कमी, परीक्षा-प्रणाली के ढाँचे – जिनपर सुधर किए बिना नई तालीम के आदर्श पूर्णता नहीं पा सकेंगे। किंतु इतिहास यही सिखाता है कि सुधार की राह लंबी होती है, पर असंभव नहीं। आज भारत सरकार और समाज में वह चेतना दिख रही है जो इन सुधारों को आगे बढ़ा सकती है। **निपुण भारत मिशन**, **कौशल भारत अभियान**, **आरटीई अधिनियम** – ये सब पहल उस व्यापक बदलाव का हिस्सा हैं जिसका शिखर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आया है।

अंत में, भारत की शिक्षा का इतिहास एक पूर्ण चक्र पूरा करता प्रतीत होता है – जहाँ गांधीजी के सपनों का बीज दोबारा अंकुरित होने को तैयार है। अब आवश्यकता है तो बस निरंतर सिंचन और पोषण की, यानी निरंतर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रयास की। अगर हम आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ईमानदारी से लागू करते हैं, शिक्षा में श्रम-गरिमा और स्वावलम्बन को वास्तविकता बनाते हैं, तो निश्चय ही हम न केवल अपने युवाओं को सशक्त करेंगे बल्कि गांधी के "सर्वोदय" (सबका उदय) के स्वप्न के एक बड़े हिस्से को साकार करेंगे। शिक्षाविद देवीप्रसाद मनमोहन जैसे गांधीवादी यह मानते थे कि शिक्षा में कला, शिल्प और रचनाशीलता का प्रवेश ही देश को नई दिशा दे सकता है। आज जब हम शिक्षा को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, हमें उस विरासत पर गर्व करते हुए एक नए भारत की तालीम गढ़नी है – ऐसी तालीम जो अतीत की ज्ञान-परंपरा और भविष्य के नवाचार – दोनों को आत्मसात कर सके। यही इस शोध का मूल निष्कर्ष और संदेश है।

संदर्भ सूची :

1. **मनमोहन, देवीप्रसाद.** नई तालीम. ई-पुस्तक संस्करण, ई-पुस्तकालय, मूल प्रकाशन वर्ष अज्ञात.
2. **साइक्स, मार्जोरी** नई तालीम की कहानी (योगेन्द्र दत्त द्वारा हिंदी अनुवाद). सेवाग्राम: नई तालीम

संघ प्रकाशन, 1998. (मूल पुस्तक नई तालीम की कहानी: सेवाग्राम में शिक्षा के पचास वर्ष, 1988).

3. **हुसैन, ज़ाकिर** (समिति अध्यक्ष). बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा: ज़ाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट एवं विस्तृत पाठ्यक्रम. वर्धा: हिंदुस्तानी तालीमी संघ, 1938. (अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अनुवाद पहल के तहत हिंदी अनुवाद, 2019).
4. **गांधी, मोहनदास करमचंद.** बुनियादी शिक्षा. अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 1951. (गांधी वाङ्मय से संकलित हिंदी रचनाएँ).
5. **राजानन्द.** गांधी दर्शन और शिक्षा. बीकानेर: सूरज प्रकाशन मंदिर, 1969.
6. **गांधी, एम.के.** रचनात्मक कार्यक्रम: उसका तात्पर्य एवं स्थान. अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन, 1945. (अनुवादक: काशीनाथ त्रिवेदी).
7. **गांधी, एम.के.** हिंद स्वराज. अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन, 1939. (मूल रचना 1909, गुजराती; यह हिंदी अनुवाद संस्करण).
8. **राव, आर.वी.** सेवाग्राम: वर्धा में गांधीजी का आश्रम तथा अन्य संस्थाएँ. सेवाग्राम (वर्धा): गांधी स्मारक निधि, 1969.
9. **विद्या भवन, उदयपुर.** बुनियादी शिक्षा: एक नई कोशिश. उदयपुर: विद्या भवन सोसाइटी, 2007. (शिक्षा पत्रिका का विशेषांक).
10. **सर्व सेवा संघ प्रकाशन.** बुनियादी शिक्षा (लेखक: महात्मा गांधी). वाराणसी: सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 2015.
11. **भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय.** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (आधिकारिक हिंदी पाठ). नई दिल्ली: मंत्रालय द्वारा जारी, जुलाई 2020.
12. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी).** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (हिंदी संस्करण). नई दिल्ली: एनसीईआरटी, 2005.
13. **शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग.** निपुण भारत मिशन – मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु राष्ट्रीय पहल: कार्यान्वयन दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2021.
14. **भारत का संसद.** निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (हिंदी अधिकृत पाठ). नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन विभाग, 2009.
15. **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार** राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 (हिंदी). नई दिल्ली: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2009.
16. **समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान.** व्यावसायिक शिक्षा योजना: दिशा-निर्देश (सत्र 2020–21). जयपुर: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, 2020.
17. **प्रथम (**वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट - **केंद्र).** वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2022: नामांकन एवं सीखना – राष्ट्रीय रिपोर्ट (हिंदी). नई दिल्ली: प्रथम, 2023.
18. **आलम, एस.एम. खुर्शीद.** "गांधी जी की नई तालीम, नई शिक्षा और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता" पीएचडी शोधप्रबंध, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा), 2010.
19. **चौकसे, लखन लाल.** "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषणात्मक अध्ययन (उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में)". इंस्पिरा-जर्नल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, खंड 10, संख्यांक 4, 2020.
20. **पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च.** "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020" – समिति रिपोर्ट सार (हिंदी). नई दिल्ली: पी.आर.एस., अगस्त 2020.

•